HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

मिशन शक्ति अभियान फेस-5.0 के अन्तर्गत महिला सम्बन्धी अपराधों के आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए छेड़छाड़ करने के मामले में एक आरोपी को 01 वर्ष 05 माह का साधारण कारावास व 6,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 18.11.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा छेड़छाड़ करने के मामले में एक आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 31.05.2022 को अभियुक्त तालिब अहमद पुत्र राहत अली निवासी ग्राम बदरखा थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ द्वारा वादी की पुत्री से छेड़छाड़ करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना गढमुक्तेश्वर पर मु0अ0सं0 252/2023 धारा 354, 354क, 354ख, 354घ, 294, 504, 506 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 31.07.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 18.11.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय जेएम प्रथम गढ़मुक्तेश्वर द्वारा 01 वर्ष 05 माह का साधारण कारावास व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री सौरभ कुमार (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री सौरभ गंगवार, पैरोकार म0का0 सविता व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 विजय धामा का विशेष योगदान रहा।